

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 208/2026

प्रमोद कुमार सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, ग्राम विकास विभाग, लखनऊ एवं 7 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विजय बहादुर सिंह, आशुतोष कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी

1. याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।
3. गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 16.05.2025 के आदेश के अनुपालन में चूँकि 'चक मार्ग' का एक भाग राम सिंह (जिन्होंने रिट सी संख्या 4569 वर्ष 2025 दायर की थी) की भूमिधरी भूमि पर बनाया गया था, इसलिए उसमें पारित आदेशों के अनुपालन में उक्त भाग हटा दिया गया था और शेष 'चक मार्ग' यथावत है।
4. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 'चक मार्ग' पर लगी इंटरलॉकिंग टाइलें गलत तरीके से निकाली गई हैं।
5. यह मामले उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जाने योग्य मामले नहीं हैं। याचिकाकर्ता, यदि वह अपना मामला स्थापित कर सकता है, तो संबंधित उपजिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है, हालाँकि, इस पर विचार करते समय वह रिट-सी संख्या 4569 वर्ष 2025 में पारित पूर्व आदेश दिनांक 16.05.2025 को ध्यान में रखने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए बाध्य होगा और किसी भी भूमिधरी भूमि का उपयोग 'चक मार्ग' के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि काश्तकार उपजिलाधिकारी के समक्ष लिखित सहमति न दे दे या उक्त भूमि अधिग्रहित न कर ली जाए या खरीदी न ली जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

12 मार्च, 2026

आर.के.पी.